सं०सं० 9/आ0–02–21/2014

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

डा0 बिन्देश्वरी शर्मा, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अरवल के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0–1363(9) दिनांक 31.10.13 के द्वारा भ्रष्टाचार के दोषी बामेश्वर प्रसाद सिंह, लिपिक का बचाव करते हुए उन्हें अनुचित लाभ देने के आरोप में विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम में आरोप को प्रमाणित नहीं पाये जाने के बिन्दु से असहमत होते हुए विभाग द्वारा उनसे निम्न बिन्दुओं पर द्वितीय कारण पृच्छा की गई–

1. श्री बामेश्वर प्रसाद सिंह के विरूद्ध चिकित्सा प्रमाण पत्र निर्गत करनेके लिए पॉच सौ रूपये घूस की मॉग की गई। तत्कालीन जिला पदाधिकारी, अरवल के आदेश से इनके विरूद्ध दिनांक 10.05.13 को अरवल थाना कांड सं0–97/2013 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम–1988 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दर्ज कराया गया तथा उन्हें 10.05.2013 से 31.05.2013 तक जेल में रखा गया। डा0 बिन्देश्वरी शर्मा द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी के रूप में डा0 शर्मा ने यह भी आवश्यक नहीं समझा कि प्राथमिकी दर्ज कराने वाले पदाधिकारी से साक्ष्य प्राप्त किया जाय।

2. डा0 शर्मा ने विभागीय कार्यवाही के संचालन के कम में बिल्कुल सतही ढंग से श्री बामेश्वर प्रसाद सिंह के विरूद्ध आरोपों को निराधार प्रतिवेदित किया और श्री सिंह को निर्दोष बताया। संचालन पदाधिकारी के रूप में इन्होंने किसी अभिलेख का निरीक्षण नहीं किया तथा एक सप्ताह के अंदर आनन–फानन में जॉच सम्पन्न कर अधिगम समर्पित किया।

विभागीय पत्रांक–911(9) दिनांक 08.10.2014 के आलोक में डा0 शर्मा द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया। विभाग द्वारा डा0 शर्मा द्वारा समर्पित कारण पृच्छा को असंतोषप्रद मानते हुए अस्वीकृत कर उन्हें निम्न दंड प्रदान करने का निर्णय लिया जाता है।

1. दो वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दंड
2. निंदन (संगत वर्ष 2014–15)

इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

सरकार के अवर सचिव,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 168 (9) /स्वा0, पटना, दिनांक– 27/02/2015

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, मगध प्रमण्डल/सिविल सर्जन, अरवल/कोषागार पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– डा0 बिन्देश्वरी शर्मा, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वा0 के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी– 2, 3, 8, 10, 11, 12 एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,